–: कार्यालय :–
वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल।
Email – dfo-latehar@gov.in
Mobile No. –8987790240
Pin Code - 829206

पत्रांक 2573 / दिनांक 17/10/2025 /

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।

विषय :– मेसर्स हिण्डाल्कों इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् लातेहार वन प्रमण्डल अंतर्गत चकला कोल ब्लॉक के लिए प्रस्तावित रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग निमार्ण हेतु 6.80 हे0 वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव (FP/JH/RAIL/156521/2022) के संबंध में।

प्रसंग :– 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रॉंची का पत्रांक 573 दिनांक 07.07.2025।
2. प्रयोक्ता संस्थान का पत्रांक 89 दिनांक 26.09.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि, मेसर्स हिण्डाल्कों इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा चकला कोल ब्लॉक के लिए प्रस्तावित रेल एवं सड़क मार्ग निमार्ण हेतु 6.80 हे0 वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव में प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रॉंची का पत्रांक 573 दिनांक 07.07.2025 द्वारा 9 बिन्दुओं पर पृच्छा की गयी है, जिसका निराकरण प्रतिवेदन प्रयोक्ता संस्थान का पत्रांक 89 दिनांक 26.09.2025 (छाया प्रति संलग्न) एवं ऑनलाईन दिनांक 07.10.2025 को समर्पित किया गया है। किये गये पृच्छा का निराकरण प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के मन्तव्य के साथ अत्र सह संलग्न कर सात प्रतियों में भेजी जा रही है।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन,

17.10.25
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
लातेहार वन प्रमण्डल।
17.10.25

चकला कोल ब्लॉक के लिए प्रस्तावित रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग हेतु किये गये पृच्छा का प्रतिवेदन

<table>
<tr><th>क्र0</th><th>बिन्दुवार पृच्छा</th><th>पृच्छा का निराकरण</th><th>वन प्रमण्डल पदाधिकारी का मंतव्य</th></tr>
<tr><td>1</td><td>परियोजना प्रस्ताव में KML File के अनुसार प्रस्ताबित रेलवे ट्रैक के बीच से रोड गुजर रही है, जिसमे या तो Overbrige या रेलवे क्रोसिंग का निर्माण किया जाना होगा। प्रस्ताव के पार्ट–1 के कंड़िका–B-2.4 मे प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Component Wise Breakup में रेल और रोड दर्शाया गया है। रोड का Component जैसे– Bridge, Culvert, Shoulder, Pavement, Black Top, flank इत्यादि, एवं रेल का Component जैसे–Track, Railway line & its embankment, CHP & Ground Bunkers, Silo, Cabin, TMS Room इत्यादि दर्शाया जाना अपेक्षित है।</td><td>प्रस्ताव के पार्ट–1 के कंड़िका–B-2.4 में Component Wise Breakup स्पष्ट कर दिया गया है :–
<table>
<tr><th>Component</th><th>Forest Area (Ha.)</th><th>Non-Forest Area (Ha.)</th></tr>
<tr><td>Rail Bridge (RUB)</td><td>0.0000</td><td>0.0070</td></tr>
<tr><td>Rail Bridge</td><td>0.1010</td><td>0.0010</td></tr>
<tr><td>Track Railway line</td><td>1.2545</td><td>0.8130</td></tr>
<tr><td>Railway line Embankment</td><td>4.7808</td><td>2.7078</td></tr>
<tr><td>Road Bridge</td><td>0.0037</td><td>0.0013</td></tr>
<tr><td>Road Black Top</td><td>0.3630</td><td>0.5230</td></tr>
<tr><td>Road Shoulder</td><td>0.2970</td><td>0.4269</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>6.8000</td><td>4.4800</td></tr>
</table></td><td>प्रयोक्ता संस्थान द्वारा, Form A, Part-1 के कंड़िका–B-2.4 में Component Wise Breakup uplode किया गया है।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Village Wise Cadastral Map अपलोड नही किया गया है। इसे अपलोड किया जाना अपेक्षित है।</td><td>प्रस्ताव के Additional documents के क्रमांक संख्या –31 में Village Wise Cadastral Map अपलोड कर दिया गया है।</td><td>प्रयोक्ता संस्थान द्वारा, Form A, Part-1 के Additional documents के क्रमांक संख्या –31 में Village Wise Cadastral Map अपलोड किया गया है।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना प्रस्ताव के पार्ट–1 के कंडिका–B.1 में पूर्व के प्रस्तावो का विवरण अंकित नहीं है।</td><td>पूर्व में चकला कोल ब्लॉक के लिए रेल एवं सड़क परियोजना से संबंधित कोई भी प्रस्ताव नहीं है। इसलिए परियोजना प्रस्ताव के पार्ट–1 के कंडिका–B.1 में पूर्व के प्रस्तावों का विवरण अंकित नहीं किया गया है।</td><td>प्रयोक्ता संस्थान द्वारा, पूर्व में चकला कोल ब्लॉक के लिए रेल एवं सड़क परियोजना से संबंधित कोई भी प्रस्ताव समर्पित नहीं किया गया है।</td></tr>
</table>

क्र0	बिन्दुवार पृच्छा	पृच्छा का निराकरण	वन प्रमण्डल पदाधिकारी का मंतव्य
4	पक्की रोड पूर्व से मौजूद है तो रेलवे कोरिडोर बनाये जाने का औचित्य स्पष्ट नहीं किया गया है।	रेलवे कोरिडोर बनाये जाने से स्थानीय/निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु प्रदूषण (डस्ट) एवं ध्वनि प्रदूषण में नियंत्रण रहेगा। साथ ही चकला कोल ब्लॉक के पर्यावरण स्वीकृति अनुमोदन के क्रम में 19 वी EAC (Expert Appraisal Committee) मीटिंग दिनांक 23 सितम्बर 2021 के रिपोर्ट में बिन्दु क्रमांक 4 (xii) में "PP shall submit detailed project report for implementation of railway siding for evacuation of coal with its target date of completion. Target date should be such that railway siding should be operational within 2 years of commissioning of mine operations. Forest Clearance shall be submitted if railway siding land comes under forest land". के अनुसार कोल सम्प्रेषण/परिवहन के लिए 2 वर्ष के अन्दर रेलवे साईडिंग निर्माण किये जाने का निर्देशित किया गया है। EAC रिपोर्ट संलग्न है। अनुलग्नक–1	इस पृच्छा के आलोक में प्रयोक्ता संस्थान द्वारा **अनुलग्नक–1** पर दिनांक 23 सितम्बर 2021 को आयोजित 19वीं EAC मीटिंग का प्रतिवेदन संलग्न किया गया है मीटिंग में दिये गये निर्देश के अलोक में रेलवे साईडिंग निर्माण का प्रस्ताव दिया गया है।
5	DSS के अवलोकन से यह पता चलता है कि परियोजना के लीज क्षेत्र में पूर्व से ही ग्रामीण सड़क (Black Top) मौजूद है। इसके बावजूद प्रस्ताव में एक अलग से वनभूमि में सड़क निर्माण हेतु प्रस्तावित किये जाने औचित्य बताया जाय।	परियोजना के लीज क्षेत्र में पूर्व से ही निर्मित ग्रामीण सड़क (Black Top) की चौड़ाई 3.75 मीटर होने के कारण और घनी आबादी के बीच से गुजरने के कारण कोल सम्प्रेषण/परिवहन का कार्य संभव नहीं है। साथ ही चकला कोल ब्लॉक के पर्यावरण अनुमोदन के क्रम में Minutes of 46th EAC (Expert Appraisal Committee) मीटिंग दिनांक 26 एवं 27 सितम्बर 2023 के रिपोर्ट में Air quality monitoring and mitigation	प्रयोक्ता संस्थान द्वारा दिनांक 26 एवं 27 सितम्बर 2023 को EAC (Expert Appraisal Committee) की बैठक की कार्यवाही का प्रतिवेदन **अनुलग्नक–2** पर संलग्न किया गया है, जिसके आलोक में प्रयोक्ता संस्थान द्वारा सड़क निर्माण हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है।

क्र0	बिन्दुवार पृच्छा	पृच्छा का निराकरण	वन प्रमण्डल पदाधिकारी का मंतव्य
		measure के बिन्दु कमांक –03 "The transportation of coal shall be carried as per the provision and route envisaged in the approved mining plan or environment monitoring plan. Transportation of the coal through the existing road passing through any village shall be avoided. In case, it is proposed to construct a 'bypass' road, it should be constructed so that the impact of sound, dust and accidents could be appropriately mitigated". इसलिए नवीन सड़क निमार्ण हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है। EAC रिपोर्ट संलग्न है। अनुलग्नक–2	
6	प्रस्ताव में क्षतिपूरक वनरोपण का KML अपलोड नही किया गया है।	प्रस्ताव के बिन्दु क्रमांक–L में क्षतिपूरक वनरोपण का KML अपलोड कर दिया गया है।	अपयोजित होने वाले वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वनरोपण का KML File प्रयोक्ता संस्थान द्वारा, Form A, Part-1 के बिन्दु क्रमांक–L में अपलोड किया गया है।
7	प्रस्ताव में वनप्रमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा वन प्रमण्डल का CA Suitability तीन वर्ष पूर्व का है। वर्तमान समय में इसका उपयोगिता एवं अद्यतन स्थिति अपेक्षित है।	प्रस्ताव में समर्पित क्षतिपूरक वनरोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं 20 वर्षीय प्राकलन से संबंधित अद्यतन स्थिति वनप्रमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा वन प्रमण्डल के पत्रांक 1457 एवं 1717 दिनांक 14.07.2025 एवं 08. 08.2025 के माध्यम से उपलब्ध कराई गयी है। अनुलग्नक–3	वन प्रमण्डल पदधिकारी, सिमडेगा के पत्रांक 1457 दिनांक 14. 07.2025 एवं पत्रांक 1717 दिनांक 08.08.2025 द्वारा दिये गये क्षतिपूरक वनरोपण से संबंधित उपयुक्तता प्रमाण पत्र परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। **अनुलग्नक–3**
8	प्रस्ताव का कुछ एरिया रेलवे का भू–भाग के अन्दर पड़ रहा है। इस एरिया में रेलवे कोरिडोर निर्माण हेतु रेलवे से निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त है।	प्रस्ताव में रेल निर्माण हेतु रेलवे के भू–भाग के अन्दर कार्य हेतु रेलवे विभाग से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। जिसकी प्रति संलग्न है। अनुलग्नक–4	प्रयोक्ता संस्थान द्वारा, रेल निर्माण हेतु रेलवे के भू–भाग के अन्दर कार्य हेतु रेलवे विभाग द्वारा दिये गये अनुमोदन की प्रति **अनुलग्नक–4** पर संलग्न किया गया है।

क्र0	बिन्दुवार पृच्छा	पृच्छा का निराकरण	वन प्रमण्डल पदाधिकारी का मंतव्य
9	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल एवं वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर के स्थलीय निरीक्षण प्रतिवेदन में प्रस्तावित परियोजना हेतु Elevated Road & Rail line निर्माण होने का सूचना दिया गया है, परन्तु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किस जगह Elevated Road & Rail line निर्माण होगा, इसका उल्लेख नही किया गया है। इसका प्रस्ताव में दर्शाया जाना अपेक्षित है।	रेल परियोजना के संरेखण का रेलवे विभाग से अनुमोदन की प्रति प्रस्ताव के साथ पूर्व में संलग्न किया गया है। जिसमें यह दर्शाया है कि वर्तमान टोरी–शिवपुर रेल लाईन में बिराटोली स्टेशन के पश्चात Take off Point के Elevation/Level के अनुसार प्रस्तावित रेल कोरिडोर में कटिंग व फिलिंग कार्य के माध्यम से भूमि का समतलीकरण कर रेल लाईन निर्माण किया जाएगा। प्रस्तावित रेल एवं सड़क मार्ग की कुल लंबाई 3.359 कि0मी0 में से लीज क्षेत्र के बाहर 1.647 कि0मी0 एवं लीज क्षेत्र के अन्दर 1.712 कि0मी0 है। लीज क्षेत्र के अन्दर के भू–भाग में वर्तमान ग्रामीण सड़क को Crossing हेतु Over Bridge (ROB) के निर्माण का रेल संरेखण में अनुमोदित किया गया है। रेल संरेखण का अनुमोदित प्रति संलग्न है। अनुलग्नक–5	प्रयोक्ता संस्थान द्वारा, सूचित किया है कि अनुमोदित नक्शा के अनुसार Elevated Road & Rail line का निर्माण नहीं किया जाना है, जो पूर्व में प्रस्ताव के साथ संलग्न है। प्रयोक्ता संस्थान के अनुसार प्रस्तावित रेल कोरिडोर में कटिंग व फिलिंग कार्य के माध्यम से भूमि का समतलीकरण कर रेल लाईन निर्माण किया जाएगा। प्रयोक्ता संस्थान द्वारा पुनः सूचित किया गया है कि लीज क्षेत्र के अन्दर के भू–भाग में वर्तमान ग्रामीण सड़क को Crossing हेतु Over Bridge (ROB) के निर्माण का रेल संरेखण में अनुमोदित किया गया है। रेल संरेखण का अनुमोदित प्रति **अनुलग्नक–5** पर संलग्न है।

17.10.25

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
लातेहार वन प्रमण्डल।
17.10.25